



# राष्ट्रीय सेवा योजना

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी



डॉ०सुशील कुमार गौतम,  
कार्यक्रम समन्वयक,

मोबाइल नम्बर 9839147742

पत्रांक— 304 / रा०से०यो० / 2015

दिनांक— 15.12.2015

प्रेषक— डॉ०सुशील कुमार गौतम,  
कार्यक्रम समन्वयक,  
राष्ट्रीय सेवा योजना,  
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,  
वाराणसी।

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या

विषय—सत्र—2015—16 हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना के इकाई गठन एवं कार्यक्रमों के प्रभावी आयोजन के संदर्भ में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015—2016 में शासन के पत्र संख्या— 401 / सत्तर—रा०से०यो०को०—15—21 / 2015 दिनांक— 03 नवम्बर, 2015 एवं शासन के पत्र संख्या— 475 / सत्तर—रा०से०यो०को०—15—21 / 2015 दिनांक— 02 दिसम्बर, 2015 द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रम हेतु आवंटित नियमित छात्र संख्या.....विशेष शिविर हेतु आवंटित छात्र संख्या..... की गयी है। इसी क्रम में आपसे अपेक्षित है कि दिनांक— 30 दिसम्बर, 2015 तक अपने सम्मानित महाविद्यालय को आवंटित छात्र व इकाई संख्या के अनुसार इकाई गठित कर इसकी सूचना से (आवश्यक प्रपत्र व पंजीकरण शुल्क सहित) अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यह सूचना प्राप्त न होने / विलम्ब से प्राप्त होने की दशा में महाविद्यालय को समय से अग्रिम जारी करना संभव नहीं होगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।

राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई गठन में अधोलिखित बिन्दुओं का अनुपालन अनिवार्य है—

1. किसी भी दशा में नियमित कार्यक्रम / विशेष शिविर हेतु आवंटित छात्र संख्या से अधिक स्वयंसेवकों को पंजीकृत / सम्मिलित न किया जाय।

2. राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रम एवं विशेष शिविर में केवल स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को ही प्रविष्ट किया जाय।
3. राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमों में सहभागिता करने के इच्छुक प्रत्येक स्वयंसेवक का पंजीकरण निवेश पत्र के द्वारा किया जाएगा। इस निवेश पत्र की एक प्रति (जिसके साथ विद्यार्थी के हाईस्कूल के अंकपत्र/प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा वर्तमान सत्र के फीस रसीद की छायाप्रति संलग्न हो तथा पंजीकरण शुल्क (रुपये 500 प्रति इकाई) अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय (निवेश पत्र पर स्वयं सेवक/स्वयं सेविका का मोबाइल नम्बर, इमेल व उनके मतदाता बनने की स्थिति का विवरण भी अवश्य अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे महाविद्यालय जिनके पास निवेश पत्र का प्रारूप उपलब्ध नहीं है, वे इसे विश्वविद्यालय के वेबसाइट या रो0से0यो0 के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।)
4. जिन महाविद्यालयों के कार्यक्रमाधिकारियों का कार्यकाल पूरा हो गया है वे कृपया 30 दिसम्बर, 2015 तक नये कार्यक्रमाधिकारियों के नियुक्ति/कार्यकाल विस्तार हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दें ताकि कार्यक्रमाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जा सके। जिन कार्यक्रमाधिकारियों ने सात दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्हीं का कार्यकाल विस्तार सम्भव है।
5. जिन महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई संख्या में वृद्धि हुई है उन महाविद्यालयों से भी अपेक्षित है कि वे नये कार्यक्रमाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया माह दिसम्बर, 2015 तक पूर्ण कर लें। इस हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अधोहस्ताक्षरी को तीन अध्यापकों की सूची प्रेषित करनी होगी जिसमें से किसी एक की नियुक्ति माननीय कुलपति जी द्वारा की जाएगी। कार्यक्रमाधिकारियों के नियुक्ति हेतु अध्यापकों के नाम प्रेषित करने से पूर्व उन अध्यापकों से स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर लें क्योंकि एक बार नियुक्ति हो जाने के उपरान्त उसमें परिवर्तन संभव नहीं होगा।
6. जिन महाविद्यालयों को नई इकाई आवंटित हुई है उनसे अपेक्षित है कि वे अपने महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना का बचत खाता संयुक्त रूप से प्राचार्य एवं कार्यक्रम अधिकारी के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोल ले क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा रा0से0यो0 के अनुदान की राशि उसी खाते हेतु निर्गत की जाएगी।
7. यह भी सूचित करना है कि शासनादेश के अनुसार समस्त कार्यक्रम अधिकारियों को कार्यक्रमाधिकारी के रूप में नियुक्त होने के एक वर्ष के भीतर सात दिवसीय अभिविन्यास प्रशिक्षण (Orientation Training) प्राप्त करना अनिवार्य है। यह प्रशिक्षण समन्वयक इम्पैनलड प्रशिक्षण केन्द्र ,राष्ट्रीय सेवा योजना सेंट्र जांस कालेज, आगरा, समन्वयक इम्पैनलड प्रशिक्षण केन्द्र इण्डियन लिटरेसी बोर्ड साक्षरता निकेतन, कानपुर रोड ,लखनऊ एवं समन्वयक इम्पैनलड प्रशिक्षण केन्द्र राष्ट्रीय सेवा योजना,दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर तथा से निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार निरन्तर आयोजित किये जा रहे हैं। अतः नवनियुक्त समस्त

कार्यक्रमाधिकारियों एवं ऐसे पुराने कार्यक्रमाधिकारियों जिन्होंने अभी तक अभिविन्यास प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, से अपेक्षा की जाती है कि वे यथाशीघ्र प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। सत्र-2015-16 के अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय-सारिणी व आवेदन पत्र की छायाप्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह भी सूच्य है कि उक्त तीनों संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान द्वारा प्रदत्त कोई भी अभिविन्यास प्रशिक्षण राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमाधिकारियों हेतु मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाला दो दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण केवल आधारभूत जानकारी प्रदान करने के लिए है। अतः समस्त प्राचार्यों से अनुरोध है कि वे अपने महाविद्यालय के कार्यक्रमाधिकारियों को सात दिवसीय अभिविन्यास प्रशिक्षण में सहभागिता हेतु अवश्य भेंजें।

8. कतिपय महाविद्यालयों द्वारा अभी तक सत्र-2014-15 का व्यय विवरण, उपभोग प्रमाण पत्र एवं वार्षिक आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध नहीं कराई गयी है। अतः अविलम्ब इसे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाय अन्यथा की स्थिति में सत्र-2015-16 में आपके महाविद्यालय की इकाई निरस्त की जा सकती है। इसी प्रकार कुछ महाविद्यालयों द्वारा अभी तक 2013-2014 एवं 2014-15 के वित्तीय अभिलेखों का ऑडिट नहीं कराया गया है जिसके कारण ऑडिट की प्रक्रिया रूकी हुई है। अतः इसे अनिवार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

9. **सलाहकार समिति का गठन एवं बैठक-** राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमों के महाविद्यालय स्तर पर प्रभावी आयोजन हेतु आवश्यक है कि सलाहकार समिति का गठन कर उसकी बैठक यथाशीघ्र कर ले। इस बैठक में सत्र की कार्ययोजना विस्तारपूर्वक चर्चा के उपरान्त तय कर ली जाय। महाविद्यालय की सलाहकार समिति का गठन अधोलिखित ढंग से होगा-

1. प्राचार्य- अध्यक्ष
2. समस्त कार्यक्रमाधिकारी- सदस्य
3. एक वरिष्ठ प्राध्यापक/पूर्व कार्यक्रमाधिकारी-सदस्य
4. चयनित ग्राम/मलिन बस्ती के प्रधान/वार्ड मेम्बर- सदस्य
5. रा0से0यो0 कार्यक्रमों में रुचि रखने वाले 02 स्वयं सेवक छात्र/छात्रा- सदस्य

सलाहकार समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की सूचना अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करवायी जाय।

10. विभिन्न दिवसों का आयोजन- सत्र-2015-16 में समस्त कार्यक्रमाधिकारियों को नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत 120 घंटे की कार्य योजना बनानी है जिसमें चार एक दिवसीय शिविर भी सम्मिलित है। इन कार्यक्रमों में रक्तदान शिविर, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, जागरूकता रैलियां, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, साक्षरता

अभियान, कूड़ा प्रबन्धन हेतु जागरूकता, जल संरक्षण जागरूकता आदि हो सकते हैं। इन विषयों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार किसी भी सामाजिक मुद्दे पर कार्यक्रम हो सकते हैं। इन कार्यक्रमों में सभी स्वयं सेवकों की सहभागिता अनिवार्य है। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त या साथ में इस सत्र में अधोलिखित प्रमुख दिवसों पर भी गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है—

1. पर्यावरण चेतना माह—19 नवम्बर 25 दिसम्बर
2. मानवाधिकार दिवस— 10 दिसम्बर
3. राष्ट्रीय युवा दिवस— 12 जनवरी
4. राष्ट्रीय युवा सप्ताह— 12-19 जनवरी
5. राष्ट्रीय मतदाता दिवस—25 जनवरी
6. गणतन्त्र दिवस— 26 जनवरी
7. अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस— 08 मार्च
8. विश्व वन दिवस— 21 मार्च

प्रत्येक स्वयं सेवक से वर्ष भर में नियमित कार्यक्रम में 120 घंटे की सहभागिता अनिवार्य है तथा किये गये कार्य का विवरण डायरी में तिथिवार अंकित किया जाय। प्रमुख दिवसों का डिजिटल प्रतिवेदन अवश्य तैयार किया जाय तथा इन दिवसों पर आयोजित कार्यक्रमों की आख्या/फोटो ग्राफ तथा अखबारों की कतरनों को समय-समय पर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय। सत्र समाप्ति के उपरान्त प्रत्येक इकाई का प्रतिवेदन— फोटोग्राफ व अखबार की कतरनों सहित अधोहस्ताक्षरी को 15 अप्रैल, 2016 तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए जिसमें इकाई के द्वारा आयोजित अधोलिखित कार्यक्रमों का विवरण अवश्य होना चाहिए—

1. इकाई द्वारा साक्षर किये गये व्यक्तियों की संख्या—
  2. इकाई द्वारा रक्तदान शिविर के आयोजनों की संख्या तथा दान किये गये रक्त का विवरण (यूनिट में)—
  3. इकाई के स्वयं सेवकों के माध्यम से रोपित किये/करवाये गये पौधों की संख्या—
  4. जल संसाधन प्रबन्धन हेतु किये गये प्रयास व परिणाम—
  5. स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण का विवरण—
  6. कार्यशाला/गोष्ठी आदि का आयोजन—
  7. मतदाता जागरूकता हेतु किये गये प्रयास—
  8. अन्य महत्वपूर्ण कार्य (स्पष्ट उल्लेख करें)—
11. **नियमित कार्यक्रमों हेतु कार्य योजना**— सत्र 2015-16 में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की कार्ययोजना बनाते समय अधोलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दें—

1. कार्ययोजना न्यूनतम 120 घंटे के नियमित कार्यक्रमों की होगी।
2. इसमें चयनित ग्राम में 4 एकदिवसीय शिविर (प्रत्येक 8 घंटे की अवधि के) स्पष्ट रूप से दर्शाये जाय।
3. कार्य योजना तभी मान्य होगी जब अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से उससे अवगत करा दिया जाय।
4. कार्ययोजना का प्रारूप निम्नवत होगा—

### सत्र 2015–16 में राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य कार्यक्रम कार्य योजना

महाविद्यालय का नाम—

इकाई संख्या—

छात्र संख्या—

कार्यक्रमाधिकारी का नाम—

चयनित ग्राम/मलिन बस्ती का नाम तथा महाविद्यालय से इसकी वास्तविक दूरी—

#### प्रस्तावित कार्यक्रम/गतिविधियां

क्र०सं०	तिथि	अवधि	आयोजन स्थल	कार्यक्रम

नोट— चयनित ग्राम/मलिन बस्ती हेतु यद्यपि 8 किमी सीमा निर्धारित है तथापि व्यावहारिक रूप से ऐसे गांव/बस्ती चयनित किये जाय जो न्यूनतम दूरी पर हो तथा जहां वास्तव में योजना (रा०से०यो०) की आवश्यकता है एवं वहां आसानी से पहुंचा जा सकता है।

12. **स्वामी विवेकानन्द एन०एस०एस० पुरस्कार**— विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों को रा०से०यो० के 5 श्रेष्ठ स्वयं सेवकों व 5 श्रेष्ठ कार्यक्रमाधिकारियों को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वामी विवेकानन्द पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार के लिए कम से कम 2 वर्ष से कार्यरत व प्रशिक्षित कार्यक्रमाधिकारी तथा 02 वर्ष तक स्वयं सेवक रहे छात्र/छात्राएं अर्ह (Eligible) हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने महाविद्यालय के 01 अर्ह एवं उत्कृष्ट कार्यक्रमाधिकारी व 01 स्वयं सेवक का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर उपलब्धियों के विवरण, फोटोग्राफ तथा समाचार पत्रों के कतरन सहित 12 जनवरी, 2016 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दें। निर्धारित प्रारूप यदि उपलब्ध न हों तो उसे विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आपके द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर निर्णय उचित समिति द्वारा लिया जाएगा तथा यह पुरस्कार राष्ट्रीय युवा सप्ताह के दौरान प्रदान किये जाएंगे।

13. **ग्राम/मलिन बस्ती सर्वेक्षण**— प्रत्येक राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा चयनित ग्राम/मलिन बस्ती में सर्वेक्षण कार्य किया जाना अनिवार्य है। यह कार्य किसी भी एक दिवसीय शिविर (चतुर्थ एक दिवसीय शिविर को छोड़कर) के दौरान स्वयं सेवकों द्वारा किया जा सकता है। यह सर्वेक्षण विशेष शिविर की कार्य योजना बनाने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता है। विशेष कार्याधिकारी रा0से0यो0 प्रकोष्ठ द्वारा पूर्व में एक ग्राम सर्वेक्षण प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। जिन महाविद्यालयों में उक्त प्रपत्र न हों वे विश्वविद्यालय रा0से0यो0 कार्यालय से उक्त प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। उक्त सर्वेक्षण प्रपत्र में स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। सर्वेक्षण द्वारा संकलित तथ्यों का प्रतिवेदन वार्षिक आख्या के साथ प्रेषित करना भी अनिवार्य है।
14. **रेड रिबन क्लब**— उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी के साथ हुई कार्यक्रम समन्वयकों की बैठक के हुए निर्णयों के आधार पर विश्वविद्यालय परिसर व सम्बद्ध महाविद्यालयों में कुल 33 रेड रिबन क्लबों की स्थापना अभी तक की जा चुकी है। ऐसे महाविद्यालय जिनमें रेड रिबन क्लब स्थापित नहीं है तथा वे इसमें रुचि रखते हैं वे डॉ0राहुल गुप्ता, कार्यक्रम अधिकारी, म0गां0काशी विद्यापीठ, मो0नं0—9453615234 से 31 दिसम्बर, 2016 तक सम्पर्क कर रेड रिबन क्लब की स्थापना अपने महाविद्यालय में कर सकते हैं। रेड रिबन क्लब के गठन के उपरान्त इस सत्र में 12 जनवरी (राष्ट्रीय युवा दिवस) एवं 08 मार्च (विश्व महिला दिवस) के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। यह कार्यक्रम एक दिवसीय शिविरों के साथ भी उक्त तिथियों पर आयोजित किये जा सकते हैं।
15. **विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना वेबसाइट**— राष्ट्रीय सेवा योजना, म0गां0काशी विद्यापीठ, वाराणसी की वेबसाइट का निर्माण गत वर्ष ही हो चुका है। इस वेबसाइट का पता [www.nssmgkvp.org](http://www.nssmgkvp.org) है। वेबसाइट पर महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसर के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित गतिविधियों/कार्यक्रमों की आख्या, फोटोग्राफ एवं अखबारों की कटिंग दिन-प्रतिदिन अपलोड किये जाते रहेंगे। वेबसाइट की देखरेख एवं सूचनाओं को अपलोड करने का दायित्व अधोहस्ताक्षरी के साथ ही साथ विश्वविद्यालय परिसर के कार्यक्रम अधिकारी डॉ0 विजेन्द्र प्रताप सिंह को दिया गया है। वेबसाइट सम्बन्धी किसी भी जानकारी हेतु डॉ0 विजेन्द्र प्रताप सिंह (मो0 नं0—9410450908 से सम्पर्क किया जा सकता है। आपसे यह भी अनुरोध है कि आपके महाविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों/गतिविधियों को वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु आवश्यक सूचनाएं ईमेल या साफ्ट कापी में डॉ0नवरत्न सिंह या रा0से0यो0 कार्यालय को दिन-प्रतिदिन उपलब्ध कराते रहें। आपसे यह भी अपेक्षित है कि नियमित रूप से विश्वविद्यालय रा0से0यो0 वेबसाइट का अवलोकन करते रहें क्योंकि अनेकों सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से आपको प्रेषित की जाएंगी।

16. वित्तीय वर्ष के समाप्ति के तुरन्त बाद प्रमाण पत्र पाने के अर्ह स्वयंसेवकों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु सादा प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लिया जाय तथा उसे पूरित कर (कार्यक्रम अधिकारी व प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं मुहर के उपरान्त) अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाय ताकि उसे कार्यक्रम समन्वयक व माननीय कुलपति जी के हस्ताक्षर के उपरान्त महाविद्यालय को प्रेषित किया जा सके। इस हेतु विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय से सादा प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व प्रमाण पत्र हेतु अर्ह स्वयंसेवकों/स्वयंसेविकाओं की प्रमाणित सूची अधोलिखित प्रोफार्मा पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है अन्यथा सादा प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। यह प्रोफार्मा (प्रारूप) निम्नवत् है-

क्र०सं०	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	कक्षा	सामान्य कार्यक्रम के सत्र जिसमें छात्र/छात्रा द्वारा कार्य किया गया हो		विशेष शिविर की तिथियां जिसमें छात्र/छात्रा द्वारा सहभागिता की गई हो	
				प्रथम सत्र	द्वितीय सत्र	दि० से दि० तक	दि० से दि० तक

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त स्वयंसेवक/स्वयंसेविका ने 240 घण्टा एवं दो वर्ष कार्य पूर्ण करते हुए सात दिवसीय विशेष शिविर में भाग लिया है।

हस्ताक्षर प्राचार्य  
(मुहर सहित)

हस्ताक्षर कार्यक्रमाधिकारी  
(मुहर सहित)

17. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी / विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों का आधारभूत प्रशिक्षण माह जनवरी, 2016 में प्रस्तावित हैं। उक्त प्रशिक्षण में प्रत्येक कार्यक्रमाधिकारी की सहभागिता अनिवार्य है।

18. अधोलिखित विवरण अधोहस्ताक्षरी को 30 दिसम्बर, 2015 तक अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये—

- a. पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्र, पंजीकरण शुल्क व इकाई गठन की सूचना
- b. नियमित कार्यक्रम की कार्य योजना
- c. सलाहकार समिति की बैठक की कार्यवृत्त/आख्या
- d. एक दिवसीय शिविर एवं सात दिवसीय विशेष शिविर के आयोजन का प्रस्ताव
- e. रेड रिबन क्लब गठन हेतु पूरित प्रपत्र
- f. ऐसे कार्यक्रमाधिकारी जिन्होंने अभिविन्यास प्रशिक्षण में सहभागिता नहीं की है, के द्वारा यह सूचना कि वे किस अभिविन्यास प्रशिक्षण में सहभागिता कर रहें (लिखित रूप में )

19. एक दिवसीय शिविर—म०गा०काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा

योजना इकाईयों द्वारा प्रथम तीन एक दिवसीय शिविरों का आयोजन अधोलिखित में से किन्हीं तीन तिथियों में आयोजित किये जाएंगे जबकि चतुर्थ एक दिवसीय शिविर का आयोजन विशेष शिविर आयोजन के एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा। एक दिवसीय शिविरों के आयोजन की सूचना स्पीड-पोस्ट/रजिस्टर्ड पत्र द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को कम से कम 15 दिन पूर्व अवश्य प्रेषित कर दी जानी चाहिए अन्यथा की स्थिति में शिविर का आयोजन स्वतः ही अमान्य हो जाएगा तथा इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की सफाई या आख्या मान्य नहीं होगी। एक दिवसीय शिविरों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा कभी भी किया जा सकता है। एक दिवसीय शिविरों का निरीक्षण न तो कार्यक्रम समन्वयक के अतिरिक्त किसी के द्वारा किया जाएगा न ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गयी निरीक्षण आख्या मान्य नहीं होगी। एक दिवसीय शिविरों के आयोजन का समय प्रातः 9.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक है। इस समय में यदि कोई परिवर्तन करना है तो इससे भी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को लिखित रूप से अवगत कराना होगा। प्रत्येक एक दिवसीय शिविर में कार्यक्रमाधिकारी एवं 100 पंजीकृत स्वयंसेवकों की उपस्थिति अनिवार्य है। तीन एक दिवसीय शिविरों के आयोजन के उपरान्त ही सात दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन मान्य होगा। एक दिवसीय शिविरों का आयोजन चयनित मलिन बस्ती/ग्राम में ही करना अनिवार्य है। चारों एक दिवसीय शिविर समाप्त हो जाने के 15 दिन के भीतर स्वयं सेवकों के उपस्थिति पंजिका की छायाप्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय। एक दिवसीय शिविरों के आयोजन हेतु प्रस्तावित तिथियां निम्नलिखित हैं—

1. 20 दिसम्बर, 2015— रविवार
2. 27 दिसम्बर, 2015— रविवार
3. 03 जनवरी, 2016— रविवार



- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 4. 10 जनवरी, 2016- | रविवार                |
| 5. 12 जनवरी, 2016- | राष्ट्रीय युवा दिवस   |
| 6. 27 जनवरी, 2016- | रविवार                |
| 7. 25 जनवरी, 2016- | राष्ट्रीय मतदाता दिवस |
| 8. 31 जनवरी, 2016- | रविवार                |

नोट— उपरोक्त में से किन्हीं तीन तिथियों का चयन कार्यक्रमाधिकारी द्वारा विशेष शिविर आयोजन के पूर्व किया जाएगा तथा अन्तिम एक दिवसीय शिविर का आयोजन सात दिवसीय विशेष शिविर के आयोजन के उपरान्त अपनी सुविधानुसार किया जाएगा परन्तु सभी एक दिवसीय शिविरों की तिथि पूर्व से ही निश्चित कर उसकी सूचना से अधोहस्ताक्षरी सहित निम्नलिखित सदस्यों को भी कम से कम 15 दिन पूर्व अवगत करा दिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा की दशा में शिविर अमान्य कर दिया जाएगा।

20. **सात दिवसीय विशेष शिविर**—सात दिवसीय विशेष (दिन—रात) शिविर का आयोजन अधोलिखित विवरणानुसार किया जाएगा। इन्हीं तिथियों पर विशेष शिविर का आयोजन अनिवार्य होगा। विशेष शिविर आयोजन की सूचना उचित प्रारूप पर विशेष शिविरों के आयोजन की सूचना शिविर प्रारम्भ होने की तिथि से 15 दिन पूर्व पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से विशेषकार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी उच्चशिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक)विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को प्रेषित नहीं करने की दशा में भविष्य में महाविद्यालय को इकाइयो आवंटन सम्भव नहीं होगा एवं अधोहस्ताक्षरी सहित समस्त आवश्यक अधिकारियों/प्रशासकों तक प्रेषित करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने की दशा में शिविर अमान्य कर दिया जाएगा। विशेष शिविर दिन—रात का होगा तथा दिवसीय विशेष शिविर किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगे। अतः इस संदर्भ में कोई पत्राचार न किया जाय। यह भी सूच्य है कि विशेष शिविर का निरीक्षण उप कार्यक्रम सलाहकार, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ, विशेषकार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी उच्चशिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक)विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ एवं कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा किसी भी समय (रात या दिन) किया जा सकता है। उपरोक्त तीनों अधिकारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया निरीक्षण मान्य नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति को विशेष शिविर का निरीक्षण करने हेतु अधिकृत किया जाता है तो उसे उपरोक्त वर्णित अधिकारियों में से किसी द्वारा अधिकार पत्र (अवश्य प्रदान किया जाएगा। शिविर के दौरान समस्त आवश्यक अभिलेख (पंजीकृत स्वयं सेवकों की उपस्थिति पंजिका, स्टाक पंजिका, कार्यवाही पंजिका, परियोजना प्रस्ताव, स्वयं सेवकों की डायरी आदि) शिविर स्थल पर कार्यक्रमाधिकारियों के पास अवश्य होने चाहिए। निरीक्षण के दौरान इन अभिलेखों की मांग किये जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सात दिवसीय विशेष शिविर के आयोजन से पूर्व तीन एक दिवसीय शिविरों का आयोजन अनिवार्य है। सात दिवसीय

विशेष शिविर का आयोजन चयनित मलिन बस्ती/ग्राम में किया जाना अनिवार्य है। सभी कार्यक्रमाधिकारियों से अपेक्षित है कि वे अपना मोबाइल नं0 व ईमेल अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दें। उक्त नम्बर विशेष शिविर के दौरान दिन-रात ऑन रहना चाहिए।

21-भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी इकाइयों की गतिविधियों की मासिक रिपोर्टिंग ई-मेल के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना श्री अंशुमालि शर्मा, विशेषकार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी उच्चशिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक) विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ एवं श्री अशोक कुमार श्रोती, क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय निदेशक हाल नम्बर 1, आठव तल, केन्द्रीय भवन सेक्टर -एच, अलीगंज लखनऊ, को प्रेषित करना अनिवार्य है नियमित रिपोर्टिंग न करने वाली इकाइयों को भविष्य में इकाई निरस्त कर दिया जायेगा इसकी जिमेदारी महाविद्यालय की होगी।

22-विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालयों के इकाइयों को निरन्तरता बनाये रखने के लिए विशेष शिविर के आयोजन के 15 दिन के भीतर शिविर की कम से कम 21 पेज की रिपोर्ट कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी एवं श्री अंशुमालि शर्मा, विशेषकार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी उच्चशिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक) विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को प्रेषित करना अनिवार्य है जिसमें प्रत्येक दिवस की गतिविधियों पर 2 पृष्ठ (7X2=14), प्रत्येक दिन की कम से कम 04 फोटो व न्यूज पेपर कटिंग (चार फोटो प्रति पृष्ठ X7=पृष्ठ) संलग्न होनी चाहिए। रिपोर्ट की हार्ड कापी कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को साफ्ट कापी एवं विशेषकार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी उच्चशिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक) विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को प्रेषित करें।

23-स्ववित्तपोषित इकाइयों हेतु शासन से कोई अनुदान देय नहीं होगा।

### सात दिवसीय विशेष शिविर की तिथि

1. वाराणसी, चन्दौली व भदोही के समस्त महाविद्यालय-19 जनवरी-25, जनवरी 2016
2. मीरजापुर एवं सोनभद्र के समस्त महाविद्यालय- 27 जनवरी-02 फरवरी 2016
3. बलिया के समूह (अ) के महाविद्यालय- 3 फरवरी 2016-9 फरवरी 2016

(समूह 'अ' के महाविद्यालय- श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलिया, श्री सुदृष्टि बाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय सुदृष्टिपुरी रानीगंज बलिया, किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय रकसा रतसर बलिया, श्री नीलम देवी महाविद्यालय धतुरी टोला बलिया, दूजा देवी महाविद्यालय रजौली सहतवार बलिया, गौरीशंकर राय कन्या महाविद्यालय गौरीशंकर पुरम् बलिया, महाविद्यालय बॉसडीह बलिया, गाँधी महाविद्यालय मिडटा बेरूआरबारी बलिया, श्री नरहेजी महाविद्यालय नरही बलिया, श्री जमुना राम स्नाकोत्तर महाविद्यालय चितबड़ा गांव बलिया, श्री बंजरंग स्नातकोत्तर महाविद्यालय दादर आश्रम सिकन्दरपुर बलिया)।

4. बलिया के समूह (ब) के महाविद्यालय-12 फरवरी 2016-18 फरवरी, 2016

(समूह 'ब' के महाविद्यालय-शिवराज स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर रसडा बलिया, श्री रामचन्द्र महाविद्यालय त्रिकालपुर गड़वार बलिया, हीरानन्द महाविद्यालय नरायनपुर रसूलपुर रसडा बलिया, महात्मा रतन गुलजार महाविद्यालय सरायभारती कोप सिलहटा बलिया, विन्देश्वरी महाविद्यालय मलप हरसेनपुर बलिया, जनता महाविद्यालय नगरा बलिया, जयप्रकाश महिला महाविद्यालय नगरा बलिया, मोहम्मद शाहबान मेमोरियल महाविद्यालय नगरा बलिया, स्व0केशव प्रसाद महाविद्यालय ससना बहादुरपुर बिल्थरारोड बलिया, बाबा रामदय सूरज देव स्मारक महाविद्यालय माधो(पकवाईवार) नवापुरा-रसडा बलिया, रामदास महाविद्यालय सिकरिसा, न01 बलिया, रामधारी चन्द्रभान महाविद्यालय नकफरेपुर नगपुरा बलिया, जय मौनी बाबा देव गिरधारी महाविद्यालय रोहना रसडा बलिया,

विवेकानन्द महाविद्यालय सेमरी बलिया, महाराजा सुहेलदेव महिला महाविद्यालय गजियापुर सेमरी बलिया, कुबेर महाविद्यालय हसनपुर जजौली नं01 बलिया, तिलेश्वरी देवी महाविद्यालय गौरा पतोई बलिया, माँ शान्ती देवी महाविद्यालय हल्दीरामपुर बहारपुर बिल्थरा रोड बलिया, एवं माँ फूला देवी कन्या महाविद्यालय तिलौली (बघुडी) बलिया)।

**सामान्य कार्यक्रम एवं विशेष शिविर हेतु धनराशि—**

राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य कार्यक्रमों एवं विशेष शिविर के प्रभावी आयोजन हेतु उपलब्ध धनराशि का विवरण पत्र अधोलिखित है। कृपया विवरणानुसार ही व्यय सुनिश्चित करें। किसी भी दशा में इससे अधिक धनराशि उलब्ध नहीं कराई जाएगी।

**सामान्य कार्यक्रम—**

क्र0सं0	मद	दर	इकाई हेतु अधिकतम उपलब्ध राशि (रूपये में)
1.	कार्यक्रम अधिकारी को आउट आफ पाकेट एलाउन्स	400 प्रतिमाह	4800 /—
2.	अंशकालिक लिपिक	150 प्रतिमाह	1800 /—
3.	अंशकालिक परिचर	100 प्रतिमाह	1200 /—
4.	स्टेशनरी		2500 /—
5.	उपकरण		2500 /—
6.	सामान्य कार्यक्रम		2500 /—
7.	चार एक दिवसीय शिविर	रु.12 प्रति छात्र	4800 /—
8.	कार्यक्रम अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण पर यात्रा व्यय		1000 /—
9.	अनुषांगिक व्यय		400 /—
		कुल योग	21500 /—

**विशेष शिविर—**विशेष शिविर (दिन—रात) का सात दिन का होगा, जिसमें प्रति स्वयं सेवक रूपये 450 /— के दर से अर्थात् 50 छात्रों हेतु अधिकतम रूपये 22,500 /— एक इकाई पर व्यय हेतु प्राप्त होगा।

(नोट— दिवसीय विशेष शिविर मान्य नहीं होगा परन्तु यदि निरीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि शिविर मात्र दिन में ही आयोजित हुए हैं तो ऐसी दशा में उस इकाई को रूपये 12 प्रति स्वयं सेवक प्रतिदिन की दर से ही भुगतान किया जाएगा।)

राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमों के आयोजन के संदर्भ में किसी भी अन्य जानकारी हेतु कार्यक्रम समन्वयक के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। आशा है कि आप सभी के सहयोग से वर्ष पर्यन्त राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियां सुचारु ढंग से संचालित होती रहेंगी।

संलग्नक—यथोपरि।

डॉ०(सुशील कुमार गौतम)  
कार्यक्रम समन्वयक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित—

1. कार्यक्रम सलाहकार , युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ,युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग राष्ट्रीय सेवा योजना, शास्त्री भवन नई दिल्ली।
2. श्री अंशुमालि शर्मा, विशेषकार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी उच्चशिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक)विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
3. श्री अशोक कुमार श्रोती,क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार ,युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय निदेशालय हाल नम्बर 1, आठवां तल,केन्द्रीय भवन, सेक्टर –एच०,अलीगंज लखनऊ।
4. कुलपति जी, कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी।
5. निजी सचिव, कुलपति जी, कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी।
6. वित्तअधिकारी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी।
7. कुलसचिव ,महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी।
- 8.कार्यालय प्रभारी—राष्ट्रीय सेवा योजना, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
- 9.श्री बिनोद कुमार प्रभारी –वेबसाइट इस आशय से कि इसे वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करे
- 10.प्रभारी— रेड रिबन क्लब, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी

डॉ०(सुशील कुमार गौतम)  
कार्यक्रम समन्वयक

प्रेषक,

कार्यक्रम अधिकारी  
राष्ट्रीय सेवा योजना  
महाविद्यालय

सेवा में

कार्यक्रम समन्वयक  
राष्ट्रीय सेवा योजना  
महात्मा गाँधी काशी विद्या पीठ  
वाराणसी

महोदय

सादर सूच्य है कि राष्ट्रीय सेवा योजना का सात दिवसीय विशेष शिविर (दिन-रात) शिविर दिनांक..... से..... तक कार्यक्रम द्वारा मलिन बस्ती/ ग्राम में आयोजित किया जा रहा है एवं कार्यक्रम अधिकारी के अन्तर्गत पंजीकृत स्वयं सेवक सम्पर्क कर शिविर स्थल पर दिनांक..... को 9.00 बजे तक शिविर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा ले ।

अतः शिविरार्थी अपने साथ परिचय पत्र, थाली, गिलास, लोटा, ओढ़ना विछावन लेकर शिविर स्थल पर पहुंचे ।

क्रम सं०	कार्यक्रम अधिकारी का नाम	शिविर स्थल का नाम	कार्य स्थल एवं चयनित ग्राम/ मलिन बस्ती	स्वयं सेवकों की संख्या

प्राचार्य/ प्राचार्या

कार्यक्रम अधिकारी

प्रतिलिपि एवं सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1-कुलपति महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ वाराणसी

2-श्री अंशुमालि शर्मा, विशेषकार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी उच्च शिक्षा  
(राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक) विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ

3-डॉ० अशोक कुमार श्रोती, सहायक कार्यक्रम सलाहकार, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय केन्द्र हाल नं० 1 आठवां तल, केन्द्रीय भवन सेक्टर- एच, अलीगंज लखनऊ

4-वित्त अधिकारी महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ वाराणसी

5-क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी

6-जिला अधिकारी

7-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

8-मुख्यविकास अधिकारी

9-सम्बन्धित थानाध्यक्ष

प्राचार्य/ प्राचार्या

कार्यक्रम अधिकारी

प्रेषक

दिनांक.....

कार्यक्रम अधिकारी  
राष्ट्रीय सेवा योजना  
महाविद्यालय

सेवा में

कार्यक्रम समन्वयक  
राष्ट्रीय सेवा योजना  
महात्मा गॉंधी काशी विद्यापीठ  
वाराणसी

महोदय

अवगत कराना चाहता हूँ कि मुझे राष्ट्रीय सेवा योजना महात्मा गॉंधी काशी विद्यापीठ से सम्बद्ध महाविद्यालय को इस वर्ष 2015–2016 में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई आवंटित किया गया है विशेष शिविर (विशेष शिविर) का प्रस्ताव निम्नवत् प्रस्तुत किया जा रहा है।

सात दिवसीय (दिन/रात) शिविर का प्रस्तावित तिथियाँ।

दिनांक कब से कब तक शिविर स्थल का नाम कार्य स्थल का नाम

उपर्युक्त तिथियाँ को परिवर्तन महाविद्यालय द्वारा किया जा सकता है। अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यक्रमो हेतु अग्रिम धनराशि आवंटित करने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1– बित्त अधिकारी महात्मा गॉंधी काशी विद्यापीठ वाराणसी

प्राचार्य/प्राचार्या

कार्यक्रम अधिकारी

प्रेषक

दिनांक.....

कार्यक्रम अधिकारी  
राष्ट्रीय सेवा योजना  
महाविद्यालय

सेवा में

कार्यक्रम समन्वयक  
राष्ट्रीय सेवा योजना  
महात्मा गॉंधी काशी विद्यापीठ  
वाराणसी

महोदय

अवंगत कराना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय सेवा योजना महात्मा गॉंधी काशी विद्यापीठ के कार्यक्रम अधिकारी को वर्ष 2015–2016 में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई आवंटित किया गया है सामान्य शिविर (नियमित शिविर) का प्रस्ताव निम्नवत् प्रस्तुत किया जा रहा है।

एक दिवसीय शिविरों

प्रस्तावित तिथियाँ

कार्यक्रम स्थल का नाम

- 1— प्रथम एक दिवसीय शिविर
- 2— द्वितीय एक दिवसीय शिविर
- 3— तृतीय एक दिवसीय शिविर
- 4—चतुर्थ एक दिवसीय शिविर

उपर्युक्त तिथियाँ को परिवर्तन कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यक्रमों हेतु अग्रिम धनराशि आवंटित करने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि सूचनार्थ

- 1—बित्त अधिकारी महात्मा गॉंधी काशी विद्यापीठ वाराणसी

प्राचार्य / प्राचार्या

कार्यक्रम अधिकारी

**प्रारूप-3**  
**गाँधी काशी विद्यापीठ वाराणसी**  
**राष्ट्रीय सेवा योजना**

1. महाविद्यालय का नाम .....
2. प्राचार्य / प्राचार्या का नाम .....
3. प्राचार्य / प्राचार्या का मोबाइल न०.....
4. कार्यक्रम अधिकारी का नाम .....
5. कार्यक्रम अधिकारी का मोबाइल न०.....

क्रमांक	कार्यक्रम अधिकारी द्वारा चयनित ग्राम मलिन बस्ती एवं तिथियों	महाविद्यालय से दूरी (8 किमी० के अर्न्तगत हो)

6. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रेषित किया जाये

क्रमांक	कार्यक्रम अधिकारी का नाम	निर्युक्ति तिथि पत्र संलग्न करें	प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र संलग्न करें

7. नीचे दिये गये विवरण के अनुसार-

	नियमित कार्यक्रम के अर्न्तगत पंजीकृत स्वयंसेवकों की संख्या			विशेष शिविर के अर्न्तगत स्वयंसेवकों की संख्या		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
सामान्य वर्ग						
पिछड़ा वर्ग						
अनुसूचित जाति						
अनुसूचित जनजाति						
योग						

प्राचार्य / प्राचार्या  
हस्तक्षर

कार्यक्रम अधिकारी  
हस्तक्षर



## विशेष शिविर आयोजन की सूचना

1. विश्वविद्यालय का नाम
2. महाविद्यालय का नाम –
3. शिविर आयोजन की तिथि–
4. प्राचार्य का नाम व मोबाईल न०–
5. कार्यक्रम अधिकारी का नाम व मोबाईल न०–
6. कार्यक्रम अधिकारी–प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित प्रशिक्षित–
7. चयनित ग्राम का नाम–
8. स्वयं सेवकों के रुकने का स्थान व पता–
9. चयनित ग्राम/मलिन बस्ती का ग्राम प्रधान/सभासद का नाम–
10. ग्राम प्रधान/सभासद से क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करते हुये विशेष शिविर आयोजन की विषयवस्तु का चयन करने में प्राथमिकता दे।–
11. चयनित ग्राम/मलिन बस्ती तक पहुँचने का साधन व दिशा मार्ग–

नोट:–भारत व राज्य सरकार को विशेष शिविर आयोजन की सूचना दिये जाने का साक्ष्य स्पीड पोस्ट नम्बर व दिनांक अंकित कर विश्वविद्यालय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय को सूचना दें। सूचना देने के बाद चेक मिलने पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई विशेष शिविर का आयोजन करें।

प्राचार्य/प्राचार्या

कार्यक्रम अधिकारी



# राष्ट्रीय सेवा योजना गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी

प्रेषक,

कार्यक्रम अधिकारी  
राष्ट्रीय सेवा योजना  
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ  
वाराणसी

सेवा में

कार्यक्रम समन्वयक  
राष्ट्रीय सेवा योजना  
महात्मा गाँधी काशी विद्या पीठ  
वाराणसी

महोदय

सादर सूच्य है कि राष्ट्रीय सेवा योजना का सात दिवसीय विशेष शिविर (दिन-रात) शिविर दिनांक...  
..... से..... तक कार्यक्रम द्वारा मलिन बस्ती/ग्राम में आयोजित किया जा रहा है  
एवं कार्यक्रम अधिकारी के अन्तर्गत पंजीकृत स्वयं सेवक सम्पर्क कर शिविर स्थल पर दिनांक.....  
..... को 9.00 बजे तक शिविर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा ले ।

अतःशिविरार्थी अपने साथ परिचय पत्र, थाली,गिलास,लोटा, ओढ़ना विछावन लेकर शिविर  
स्थल पर पहुंचे ।

क्रम0सं0	कार्यक्रम अधिकारी का नाम	शिविर स्थल का नाम	कार्य स्थल एवं चयनित ग्राम/मलिन बस्ती	स्वयं सेवको की संख्या

कार्यक्रमसमन्वयक  
राष्ट्रीय सेवा योजना  
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ  
वाराणसी

कार्यक्रम अधिकारी  
राष्ट्रीय सेवा योजना  
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ  
वाराणसी

प्रतिलिपि एवं सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1-कुलपति महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ वाराणसी

2- श्री अंशुमालि शर्मा,विशेषकार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी उच्च शिक्षा  
(राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक)विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ

3-डॉ0अशोक कुमार श्रोती, सहायक कार्यक्रम सलाहकार,भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं

खेल मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय केन्द्र हाल नं0 1 आठवां तल,केन्द्रीय भवन  
सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ

- 4-वित्त अधिकारी महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ वाराणसी
- 5-क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी
- 6-जिला अधिकारी
- 7-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
- 8-मुख्यविकास अधिकारी
- 9-सम्बन्धित थानाध्यक्ष

कार्यक्रमसमन्वयक  
राष्ट्रीय सेवा योजना  
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ  
वाराणसी

कार्यक्रम अधिकारी  
राष्ट्रीय सेवा योजना  
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ  
वाराणसी



# राष्ट्रीय सेवा योजना गाँधी काशी विद्यापीठ वाराणसी

प्रेषक,

कार्यक्रम अधिकारी  
राष्ट्रीय सेवा योजना  
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ  
वाराणसी

सेवा में

कार्यक्रम समन्वयक  
राष्ट्रीय सेवा योजना  
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ  
वाराणसी

महोदय

अवंगत कराना चाहता हूँ कि मुझे राष्ट्रीय सेवा योजना महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ से सम्बद्ध महाविद्यालय को इस वर्ष 2015-2016 में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई आवंटित किया गया है सामान्य शिविर (नियमित शिविर) का प्रस्ताव निम्नवत् प्रस्तुत किया जा रहा है।

एक दिवसीय शिविरो

प्रस्तावित तिथियाँ

कार्यक्रम स्थल का नाम

1-

2-

3-

4-

उपर्युक्त तिथियाँ को परिवर्तन महाविद्यालय द्वारा किया जा सकता है। अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यक्रमो हेतु अग्रिम धनराशि आवंटित करने का कष्ट करे।  
प्रतिलिपि सूचनार्थ

1- बित्त अधिकारी महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ वाराणसी

कार्यक्रमसमन्वयक  
राष्ट्रीय सेवा योजना  
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ  
वाराणसी

कार्यक्रम अधिकारी  
राष्ट्रीय सेवा योजना  
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ  
वाराणसी



# राष्ट्रीय सेवा योजना गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी



## प्रेषक

कार्यक्रम अधिकारी  
राष्ट्रीय सेवा योजना  
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ  
वाराणसी

## सेवा में

कार्यक्रम समन्वयक  
राष्ट्रीय सेवा योजना  
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ  
वाराणसी

## महोदय

अवगत कराना चाहता हूँ कि मुझे राष्ट्रीय सेवा योजना महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ से सम्बद्ध महाविद्यालय को इस वर्ष 2015–2016 में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई आवंटित किया गया है विशेष शिविर (विशेष शिविर) का प्रस्ताव निम्नवत् प्रस्तुत किया जा रहा है।

सात दिवसीय (दिन/रात) शिविर का प्रस्तावित तिथियाँ।

दिनांक	कब से कब तक	शिविर स्थल का नाम	कार्य स्थल का नाम
--------	-------------	-------------------	-------------------

उपर्युक्त तिथियाँ को परिवर्तन महाविद्यालय द्वारा किया जा सकता है। अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यक्रमो हेतु अग्रिम धनराशि आवंटित करने का कष्ट करे।

## प्रतिलिपि सूचनार्थ

1- बित्त अधिकारी महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ वाराणसी

कार्यक्रमसमन्वयक  
राष्ट्रीय सेवा योजना  
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ  
वाराणसी

कार्यक्रम अधिकारी  
राष्ट्रीय सेवा योजना  
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ  
वाराणसी



## प्रारूप-3

# गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी

## राष्ट्रीय सेवा योजना

1. कार्यक्रम अधिकारी का नाम .....
2. कार्यक्रम अधिकारी का मोबाइल न०.....
3. कार्यक्रम समन्वयक का नाम .....
4. कार्यक्रम समन्वयक का मोबाइल न०.....

क्रमांक	कार्यक्रम अधिकारी द्वारा चयनित ग्राम मलिन बस्ती एवं तिथियों	महाविद्यालय से दूरी (8 किमी० के अर्न्तगत हो)

5. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रेषित किया जाये

क्रमांक	कार्यक्रम अधिकारी का नाम	निर्युक्ति तिथि पत्र संलग्न करें	प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र संलग्न करें

6. नीचे दिये गये विवरण के अनुसार-

	नियमित कार्यक्रम के अर्न्तगत पंजीकृत स्वयंसेवकों की संख्या			विशेष शिविर के अर्न्तगत स्वयंसेवकों की संख्या		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
सामान्य वर्ग						
पिछड़ा वर्ग						
अनुसूचित जाति						
अनुसूचित जनजाति						
योग						

कार्यक्रमसमन्वयक  
राष्ट्रीय सेवा योजना  
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ  
वाराणसी

कार्यक्रम अधिकारी  
राष्ट्रीय सेवा योजना  
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ  
वाराणसी



# राष्ट्रीय सेवा योजना गाँधी काशी विद्यापीठ वाराणसी



## विशेष शिविर आयोजन की सूचना

1. विश्वविद्यालय का नाम
2. कार्यक्रम अधिकारी नाम –
3. शिविर आयोजन की तिथि–
4. कार्यक्रम समन्वयक का नाम व मोबाईल न०–
5. कार्यक्रम अधिकारी का मोबाईल न०–
6. कार्यक्रम अधिकारी–प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित प्रशिक्षित–
7. चयनित ग्राम का नाम–
8. स्वयं सेवकों के रुकने का स्थान व पता–
9. चयनित ग्राम/मलिन बस्ती का ग्राम प्रधान/सभासद का नाम–
10. ग्राम प्रधान/सभासद से क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करते हुये विशेष शिविर आयोजन की विषयवस्तु का चयन करने में प्राथमिकता दे।–
11. चयनित ग्राम/मलिन बस्ती तक पहुँचने का साधन व दिशा मार्ग–

नोट:–भारत व राज्य सरकार को विशेष शिविर आयोजन की सूचना दिये जाने का साक्ष्य स्पीड पोस्ट नम्बर व दिनांक अंकित कर विश्वविद्यालय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय को सूचना दें। सूचना देने के बाद चेक मिलने पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई विशेष शिविर का आयोजन करें।

कार्यक्रम समन्वयक  
राष्ट्रीय सेवा योजना  
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ  
वाराणसी

कार्यक्रम अधिकारी  
राष्ट्रीय सेवा योजना  
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ  
वाराणसी